महोदय

आज न्यायालय नियत था। वादी व वादी वकील अनुपस्थित रहने से बार-बार आवाज दिलवाई गई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अन्तिम आवाज लगभग 5-30 बजे दिलवाने पर भी वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं होने पर मूल वाद अग्रिम हाजरी व अग्रिम पैरवी में खारिज किया जाता है। न्यायालय शीघ्र शुल्क होकर तामीली के साथ कि नामंजूर डाकिया उपलब्ध हो।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:50:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner